कन्नौज ट्रांजिट हॉस्टल उपविधियाँ, 2025

(Kannuaj Transit Hostel Byelaws, 2025)



जारीकर्ता:

चन्द्रोदय कुमार

जिलान्यायाधीश, कन्नौज

प्रभावी तिथि: 01 अगस्त, 2025

प्रस्तुतकर्ता:

न्यायालय परिसर, कन्नौज

उद्देश्य: न्यायिक अधिकारियों, राज्य कर्मियों एवं विशिष्ट आगंतुकों हेतु अस्थायी आवासीय सुविधा के संचालन एवं आरक्षण हेतु विनियम

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2025.07.22 18:19:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Kannauj

प्रस्तावना:

जनपद कन्नौज एवं उत्तर प्रदेश के, न्यायिक अधिकारियों, राज्य कर्मियों एवं विशिष्ट आगंतुकों को अस्थायी आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, कन्नौज न्यायालय परिसर स्थित ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन एवं आरक्षण हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ, जिला न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा, उनके प्राधिकाराधीन, प्रख्यापित की जाती हैं, जो 01 अगस्त, 2025 से प्रभाव में होंगी।

अनुच्छेद 1: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं प्रयोजन

1.1 इन उपविधियों को "कन्नौज ट्रांजिट हॉस्टल उपविधियाँ, 2025" के नाम से जाना जाएगा।

1.2 ये उपविधियाँ दिनांक 01 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगी।

1.3 इन उपविधियों का उद्देश्य न्यायालय परिसर, कन्नौज स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में न्यायिक अधिकारियों, राज्य कर्मियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों हेतु अस्थायी आवास की सुविधा का विनियमन करना है।

अनुच्छेद 2: परिभाषाएँ

2.1 "ट्रांजिट हॉस्टल" का अभिप्राय न्यायालय परिसर, कन्नौज स्थित न्यायिक विश्राम गृह से है।

2.2 "मुख्य न्यायाधीश" – उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश।

2.3 "माननीय न्यायाधीशगण" – उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

2.4 "अधिकारी" का तात्पर्य न्यायिक, कार्यपालिक अथवा तकनीकी अधिकारी से है जो न्यायालयीन कार्य से सम्बद्ध हो।

2.5 "प्रोटोकॉल अधिकारी" – कन्नौज न्यायिक क्षेत्र के प्रोटोकॉल अधिकारी।

2.6 "अन्य व्यक्ति" में राज्य सरकार के अन्य कर्मी, पर्यटक, आमंत्रित अतिथि इत्यादि सम्मिलित होंगे।

2.7 "कमरा किराया" से तात्पर्य ट्रांजिट हॉस्टल में प्रति रात्रि देय शुल्क से है।

2.8 "ऑनलाइन बुकिंग" का तात्पर्य न्यायालय द्वारा प्रबंधित पोर्टल/डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आरक्षण प्रक्रिया से है।

अनुच्छेद 3: ट्रांजिट हॉस्टल का नियंत्रण

3.1 ट्रांजिट हॉस्टल, कन्नौज का सम्पूर्ण नियंत्रण जिला न्यायाधीश, कन्नौज के अधीन रहेगा। आवंटन सहित सभी प्रबंधन संबंधी कार्यों हेतु प्रबंधन समिति उत्तरदायी होगी, जिसकी निगरानी जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी

3.2 आवंटन के मामले में ट्रांजिट हॉस्टल कन्नौज के प्रबंधक/केयरटेकर उपरोक्त प्रबंध समिति के पर्यवेक्षण में उत्तरदायी होंगे तथा अन्य प्रयोजनों (अर्थात रखरखाव, व्यय आदि) के लिए जिला जज कन्नौज के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

3.3 वी.आई.पी. सुइट्स केवल माननीय न्यायाधीशगण एवं जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों को आवंटित किए जाएंगे।

3.4 अन्य सुइट्स उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश, कन्नौज की पूर्व स्वीकृति से आवंटित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 4: आरक्षण की प्राथमिकता

4.1 ट्रांजिट हॉस्टल में कक्ष आरक्षण की प्राथमिकता निम्नलिखित क्रम में दी जाएगी:

(क) न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक कार्य हेतु;

(ख) राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट अन्य अधिकारीगण;

(ग) विशिष्ट पर्यटक अथवा निजी अतिथि, अनुमोदन की शर्त पर।

अनुच्छेद 5: आरक्षण एवं शुल्क निर्धारण

5.1 ट्रांजिट हॉस्टल में कक्ष आरक्षण संबंधित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

5.2 आरक्षण की स्वीकृति का अंतिम अधिकार जिला न्यायाधीश, कन्नौज के विवेकाधीन होगा।

5.3 कक्ष आरक्षण की उपलब्धता एवं प्राथमिकता का निर्धारण अनुच्छेद 4 के अनुसार किया जाएगा।

5.4 प्रत्येक आवंटी श्रेणी हेतु देय शुल्क अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार होगा।

5.5 स्थानांतरित अधिकारियों हेतु अधिकतम प्रवास अवधि 2 माह और अन्य हेतु अनुच्छेद 5 की अनुसूची में निर्धारित समयावधि अधिकतम अवधि होगी; उससे अधिक पर दोगुना शुल्क देय होगा।

5.6 यह किराया राज्य सरकार को भेजा जाएगा जबकि अनुरक्षण शुल्क मैनेजर द्वारा संचालित बैंक

खाते में जमा होगा।

5.7 ट्रांजिट हॉस्टल कन्नौज के रखरखाव शुल्क के रूप में प्रति कमरा 150 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लिया जाएगा

5.8 प्रबंधक/केयरटेकर अतिथि से प्राप्त शुल्क की राशि को खाता शीर्ष **"0070 - अन्य प्रशासनिक सेवा-01 - न्यायिक प्रशासन-800-अन्य प्राप्तियां- इमारतों का किराया" शुल्क में जमा करेगा।**

5.9 कन्नौज के जिला न्यायाधीश द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "ट्रांजिट हॉस्टल कन्नौज" के नाम से बचत खाता खोला जाएगा तथा प्रबंधक/केयरटेकर द्वारा अतिथियों से प्राप्त रखरखाव शुल्क की राशि उस खाते में जमा की जाएगी तथा इस राशि का उपयोग जिला न्यायाधीश की अनुमति के बाद अतिथियों को चाय, बिस्कुट, साबुन, शैम्पू आदि उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

5.10 प्रबंध समिति निम्नलिखित के संबंध में जिला न्यायाधीश कन्नौज को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगी:

1. अतिथियों से प्राप्त राशि
2. रखरखाव पर व्यय राशि

5.11 जिला जज कन्नौज के निर्देश पर वार्षिक ऑडिट निरीक्षण किया जा सकेगा।

5.12 समस्त आरक्षण एवं शुल्क संबंधी विवरण अनुसूची - अनुच्छेद 5 के संदर्भ में उल्लिखित तालिका के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 6: किराया छूट प्रावधान

6.1 किसी भी श्रेणी के आवंटी को पूर्ण या आंशिक किराया छूट प्रदान करने की पूर्ण प्राधिकृति केवल जिला न्यायाधीश, कन्नौज को होगी।

6.2 किराया छूट केवल विशेष औचित्य या आवश्यकता के आधार पर दी जाएगी, तथा उसका पृथक लेखा संधारित किया जाएगा।

अनुच्छेद 7: भुगतान एवं रसीद प्रक्रिया

7.1 समस्त शुल्क ऑनलाइन भुगतान पोर्टल, या नकद/चालान द्वारा पूर्व-भुगतान के रूप में किया जाएगा।

7.2 केवल रसीद/चालान प्रस्तुत करने के पश्चात ही कक्ष का आवंटन किया जाएगा।

7.3 निर्धारित अवधि से अधिक प्रवास हेतु नवीन अनुमति आवश्यक होगी।

7.4 प्रत्येक आगंतुक को आगमन और प्रस्थान के समय एक पंजी में हस्ताक्षर करने होंगे।

7.5 किराया और अनुरक्षण शुल्क हेतु पृथक रसीद अतिथि को निर्गत की जाएगी।

अनुच्छेद 8: कक्षीय मर्यादा एवं दायित्व

8.1 परिसर में धूम्रपान, मद्यपान एवं अनुशासनहीन व्यवहार पूर्णतः निषिद्ध है।

8.2 परिसर अथवा कक्ष में किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटी पर होगी।

8.3 आवंटी द्वारा कक्ष की स्वच्छता एवं परिसर की गरिमा बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 9: अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अपील

9.1 उपविधियों के उल्लंघन की स्थिति में कक्ष आरक्षण रद्द किया जा सकता है।

9.2 किसी भी विवाद या निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील जिला न्यायाधीश, कन्नौज के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

अनुच्छेद 10: कर्मचारी/ सहायक कर्मचारी की नियुक्ति

10.1 एक प्रबंधक/केयरटेकर (न्यूनतम मुनसरिम/रीडर) की नियुक्ति की जाएगी जो ट्रांजिट हॉस्टल के समस्त कार्यों का उत्तरदायी होगा।

10.2 अन्य सहायक कर्मचारी में दो प्यून-कम-रसोइया, दो प्यून, एक सफाईकर्मी, एक फर्राश, दो गार्ड एवं एक माली नियुक्त किए जाएंगे।

अनुसूची I – अनुच्छेद 5 के संदर्भ में

यह अनुसूची अनुच्छेद 5 में उल्लिखित विभिन्न आवंटी श्रेणियों के अनुसार कक्ष प्रकार, अवधि, शुल्क एवं सामूहिक किचन सुविधा का विवरण प्रस्तुत करती है जो **लोक निर्माण अनुभाग 5 क्रमांक /942589 / 2025 /145 / 23-5-2025-23-3-5099-099-18-2025 लखनऊ,** उत्तर प्रदेश शासन के जी.ओ. के अनुसार है।

7 दिनों तक की समयावधि के लिए:

क्रम	आवंटी श्रेणी	कक्ष प्रकार	अवधि	शुल्क (प्रति रात्रि) AC Room	शुल्क (प्रति रात्रि) non-AC Room
1	माननीय न्यायाधीशगण	वी.आई.पी. सुइट्स	7 दिन तक	₹500/-	₹300/-
2	जिला न्यायाधीश	वी.आई. पी सुइट्स	7 दिन तक	₹500/-	₹300/-
3	न्यायिक अधिकारी और अन्य सरकारी कार्य पर	अन्य सुइट्स	7 दिन तक	₹500/-	₹300/-
4	न्यायिक अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी जो सरकारी काम पर नहीं हैं	अन्य सुइट्स	7 दिन तक	₹800/-	₹600/-
9	निजी व्यक्ति / पर्यटक	अन्य सुइट्स	7 दिन तक	₹2500/-	₹2000/-
10	विदेशी पर्यटक	अन्य सुइट्स	7 दिन तक	₹3500/-	₹3000/-
11	गनर, ड्राइवर, अर्दली, हेल्पर आदि	डॉर्मिटरी	7 दिन तक	N/A	₹200/- Per Day

7 दिनों के बाद की समयावधि के लिए:

क्रम	आवंटी श्रेणी	कक्ष प्रकार	अवधि	शुल्क (प्रति रात्रि) AC Room	शुल्क (प्रति रात्रि) non-AC Room
1	माननीय न्यायाधीशगण	वी.आई.पी.	कोई भी अवधि	₹700/-	₹500/-

		सुइट्स			
2	जिला न्यायाधीश	वी.आई.पी. सुइट्स	कोई भी अवधि	₹700/-	₹500/-
3	न्यायिक अधिकारी और अन्य सरकारी कार्य पर	अन्य सुइट्स	कोई भी अवधि	₹700/-	₹500/-
4	न्यायिक अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी जो सरकारी काम पर नहीं हैं	अन्य सुइट्स	कोई भी अवधि	₹1000/-	₹800/-
9	निजी व्यक्ति / पर्यटक	अन्य सुइट्स	कोई भी अवधि	₹3000/-	₹2500/-
10	विदेशी पर्यटक	अन्य सुइट्स	कोई भी अवधि	₹4000/-	₹3500/-
11	गनर, ड्राइवर, अर्दली, हेल्पर आदि	डॉर्मिटरी	कोई भी अवधि	N/A	₹200/- Per Day

अनुसूची II - **भवन की संरचना एवं उपलब्ध सुविधाएँ: कन्नौज ट्रांजिट हॉस्टल** की भौतिक संरचना एवं उपलब्ध सुविधाएँ निम्नवत् हैं:

- **कुल 08 सुइट्स**, जिनमें सम्मिलित हैं:
 - 02 वी.आई.पी. सुइट्स (भूतल पर)
 - 04 सामान्य सुइट्स (प्रथम तल पर)
 - 02 सामान्य सुइट्स (द्वितीय तल पर)
- **सामुदायिक उपयोग की सुविधाएँ**:
 - 01 सम्मेलन कक्ष (भूतल पर)
 - 01 भोजन कक्ष (भूतल पर)
 - 02 बैठक हॉल (प्रथम एवं द्वितीय तल पर)
 - 01 केयरटेकर कक्ष
 - 01 हाउसकीपिंग कक्ष

- 01 ड्राइवरों हेतु पृथक डॉर्मिटरी

- **अतिरिक्त सुविधाएँ**:
 - लिफ्ट की सुविधा सभी मंज़िलों हेतु उपलब्ध
 - सतत विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर प्रणाली स्थापित

जारीकर्ता:

(अधिप्रमाणित)

चन्द्रोदय कुमार

जिलान्यायाधीश, कन्नौज

दिनांक: 01 अगस्त, 2025